REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 7 | APRIL - 2019

''भारत में कोयला उद्योग का इतिहास एवम् उसका राष्ट्रीयकरण– सरगुजा क्षेत्र की कोयला खानों में कार्यरत श्रमिक जीवन पर राष्ट्रीयकरण का प्रभाव''

अभिषेक अग्रवाल[1] , डॉ. घनश्याम दुबे[2]
[1]शोध छात्र (इतिहास विभाग)
गुरू घासीदास(केन्द्रीय)विश्वविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)
[2]सहायक प्राध्यापक (इतिहास विभाग)
गुरू घासीदास(केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

प्रास्ताविक :–

वर्तमान युग उद्योगों का युग है। आज विश्व के प्रत्येक देश औद्योगिक विकास कर अपने देश को सम्पन्न देश बनाने के लिए प्रयासरत हैं। उद्योगों के इस युग में विभिन्न प्रकार के उद्योंगों के मध्य कोयला उद्योग का अपना विशिष्ट एवम् महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक भारत भौतिक युग में जिस औद्योगिक और तकनीकि ढांचे पर टिका हुआ है, उसे विकासोन्मुख और प्रगतिशील बनाये रखने के लिए उर्जा के जितने भी स्त्रोत उपलब्ध हैं, उनमें कोयला एक मुख्य स्त्रोत है। आज कोयला भारतीय उद्योगो की रीढ़ की हड्डी बन गया है। कोयले की आवश्यकता विभिन्न कार्यों को सम्पादित करने के लिए की जाती है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे **'काले हीरे'** की संज्ञा दी जाती है। यह एक आधारभूत उद्योग है जिस पर अन्य उद्योगों का विकास निर्भर करता है।

कोयला खान में कार्य करने वाला श्रमिक एक ऐसा श्रमिक है, जो धरती के गर्भ में छिपे काले हीरे को निकालने में अपना जीवन दांव पर लगा देता है। श्रमिकों के साथ यदा–कदा विभिन्न आकस्मिक दुर्घटनायें घटतीं रहतीं हैं और संचार माध्यमों की सुर्खियाँ भी बनती हैं, किन्तु आम श्रमिक कोयले के धूल और धुआं भरे वातावरण में अपनी जिन्दगी को निरन्तर गलाते रहता है। ''कोयला भले ही साहित्यकारों की दृष्टि में काला हीरा कहलाता हो पर कोयला श्रमिकों के जीवन के प्रत्येक भाग पर इसकी कालिमा का असर होता है।''

राष्ट्रीयकरण के पूर्व अर्थात् जब कालरी जब निजी क्षेत्र में थी, उस समय कोयला खान में कार्यरत श्रमिक वर्ग का जीवन स्तर काफी नीचा था। निजी समय पर कालरी में हड़ताल तालाबन्दी आये दिन हुआ करती थी। इसका कारण अधिकांशतः उनके प्राप्त वेतन को लेकर होता था। चिकित्सा सुविधा, बीमा सुविधा, बैंकिंग सुविधा, परिवहन की सुविधा इत्यादि का सर्वथा अभाव था। उस समय कोयले का उत्पादन उपरोक्त कारणों से काफी कम था। अतः कोयला खानों एवम् श्रमिकों की दयनीय दशा को देखकर 16 अक्टूबर 1971 को सरकार द्वारा समस्त कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला खानों की स्थिति मे सुधार हुआ एवं श्रम वर्ग की स्थिति बेहतर हुई तथा उसमें सकारात्मक परिवर्तन आया है।

भारत में कोयला उद्योग का इतिहासः–

''भारत में प. बंगाल वह राज्य है, जहाँ कोयला खनन कार्य 1774 में रानीगंज क्षेत्र से प्रारम्भ हुआ। भारत में उन दिनों वारेन हेस्टिंग्स तत्कालीन गर्वनर जनरल थे। उन्होने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कर्मचारी

मिस्टर जॉन सुमनेर और मिस्टर एस.जी.व्हीटले को उनके आवेदन 11 अगस्त 1774 के अनुसार बंगाल क्षेत्र में कोयला के व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी।''[1]

''डी.एच.विलियम्स जॉन जो तत्कालीन समय में ईस्ट इंण्डिया कम्पनी के भूगर्भीय सर्वेक्षक थे, ने वर्धमान क्षेत्र का 1815 में सर्वेक्षण किया, किन्तु झरिया कोयला क्षेत्र में पहुंच की कठिनाई के कारण उन्होनें अपना ध्यान रानीगंज कोयला क्षेत्र में केन्द्रित किया। यद्यपि उन्हें कोयला खनन में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, किन्तु सच्चे अर्थों में उन्हें **कोयला खनन का जनक** कहा जा सकता है।''[2]

प्राचीन भारत में कोयला खनिज के उत्पादन के संबंध में कोई पुष्ट उल्लेख अभी तक व्यवस्थित रूप से उपलब्ध नहीं है; परन्तु यह निश्चित है कि कोयले के विषय में ज्ञात अवश्य था।

''सन् 1774 के एक पत्र में कहा गया है कि ''हमने वीरभूमि और पंचेत के इलाकों में कोयले के भण्डारों की खोज की है।'' बाद में इन खानों से व्यापारिक स्तर पर खोदने का प्रयास किया गया। अतः पहली बार नियमातपुर के पास एंथोरा (वर्दमान पश्चिम बंगाल) के पास हलतुरा और आमतुरा की खानों में कार्य प्रारम्भ किया गया। ये स्थान वर्तमान रानीगंज क्षेत्र में आते हैं। सितम्बर 1775 में सर्वप्रथम में सर्वप्रथम 2500 मन कोयला यहाँ से खोदकर कलकत्ता को ढोया गया और उसे परीक्षण के लिए अंग्रेज सैनिक भण्डारी के पास भेजा गया। लेकिन उस परीक्षण में इस कोयले का इंग्लैड के स्तर का कोयला नहीं पाया गया। इसके परिणामस्वरूप 1789–1814 के मध्य कोयला खान में प्रगति नहीं हुई। 1814 में लार्ड हेस्टिंग्स भारत आया और तभी यह निर्णय लिया गया कि देश में उस कोयले की खोज पुनः की जाए ताकि कोयला पुनः प्राप्त किया जा सके। 1837 में एक कोयला समिति का निर्माण किया गया जिसने आगामी वर्ष अपनी रिपोर्ट भेजी और कोयले के भण्डारों की एक सूची प्रदान किया। 1842 तक रानीगंज कोयला क्षेत्र से 50,000 टन कोयला निकाला गया। बाद में 120 मील रेल्वे लाइन बिछाकर (1855 तक) रानीगंज कोयला क्षेत्र को कलकत्ता से सम्बद्ध कर दिया गया। इसके पश्चात इस कोयले की महत्ता निरन्तर बढ़ती गई।''[3]

''1882 में उमरिया (म.प्र.),1884 में दातांत (पंजाब), 1889 में झरिया, 1884 में आसाम और मध्य प्रदेश में रीवा कोयला खानों की शुरूवात की गई।''[4]

छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में कोयला उद्योग–

''छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कोयला खानों के शुरूआत इस क्षेत्र में रेल्वे लाइन के विस्तार कार्य से हुई। जब 1928 में शहडोल जिले के अनुपपुर से चिरमिरी तक रेल्वे लाइन बनाने का कार्य प्रारम्भ हुआ था।''[5]

''1930 में हुए भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के दौरान कोरिया क्षेत्र (वर्तमान में सरगुजा जिला) में कोयला के विपुल भंडार के ज्ञात हो जाने से कोयला उद्योग के विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। 1930 में ही चिरमिरी कोयला खान प्रारम्भ की गई जो आज चिरमिरी कालरी के नाम से जानी जाती है। इसका संचालन बम्बई स्थित बंशीलाल अमीरचंद फर्म डागा परिवार द्वारा होता था। लगभग उसी समय भारत सरकार के उत्पादन मंत्रालय द्वारा कुरासिया कालरी प्रारम्भ की गई।''[6] ''इस समय तक 11 कोयला खानों का विकास सबसे अधिक पंचव्हेली क्षेत्र में हो चुका था। 1930–1946 के बीच रायगढ़ (झिलमिली और उदयपुर) सरगुजा की कोयला खानों को प्रारम्भ किया गया।''[7]

राष्ट्रीयकरण के पूर्व कोयला उद्योग एवं कोयला खान श्रमिकों की स्थिति–

राष्ट्रीयकरण के पूर्व निजी खान स्वामियों ने कार्य की दशाओं एवम् श्रम कल्याण पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कोयला खनन् की अव्यवस्थित प्रणाली और खान स्वामियों के लाभ भावना की प्रवृत्ति के कारण श्रमिकों को स्वास्थ्य एवम् मनोरंजन की सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। सुरक्षा एवम् कार्य क्षमता पर ध्यान दिये बिना जोखिम पूर्ण खनन स्थितियों में कार्य के लिए बाध्य करना तथा तकनीकी, यंत्रीकरण व विशिष्टीकरण के अभाव के कारण श्रमिकों में अपने कार्य से अनुपस्थित रहने की आदत बन गई थी, जिसकी पुनरावृत्ति होती रहती थी।

एस. मोहन कुमार मंगलम ने राष्ट्रीयकरण के पूर्व की स्थिति का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि ''खानों में सुरक्षा, कानूनों का उल्लंघन एक व्यापक तथ्य था। अवैज्ञानिक खनन प्रक्रिया के कारण अग्नि दुर्घटना और छतों का धसकना वर्षों से कोयला भण्डारों की क्षति और राष्ट्र की कीमत पर खान स्वामियों की शोषणात्मक

प्रवृत्ति थी। खान संचालन निम्न कोटि का था। कोयले की छत का आधार अपर्याप्त था। सुरक्षा उपकरणों का अभाव था और इन विपत्तियों से श्रमिकों का सामना कोयला खानों की आलोचना का प्रमुख आधार है।''[8]

स्वतंत्रता से पूर्व सरगुजा कोयला क्षेत्र की कोयला खदानों का विकास उतना अधिक नहीं हो पाया, क्योंकि यह विदेशियों के अधीन थी। इस समय केवल यहाँ पर केवल कोयला क्षेत्र होने की पुष्टि की गई थी। स्वतंत्रता के बाद यहाँ की खानों पर ठेकेदारों ने अधिकार कर लिया और यहीं से कोयला उत्पादन शुरू हुआ। इस समय खनन कार्य प्राचीन पद्धधति से किया जाता था एवं खदान में कार्य करने वाले श्रमिको का ठेकेदारों द्वारा पूर्ण शोषण किया जाता था।

इस प्रकार की दशा को देखकर भारत सरकार ने इस उद्योग पर अपना आंशिक नियंत्रण लगा दिया। निजी क्षेत्र की कम्पनियों को सन् 1956 के बाद से ही सरकार ने कोयला खान के लिए अनुज्ञा–पत्र (लाईसेंस) देना बंद कर दिया था पर जो पुरानी कम्पनियाँ थीं, उन्हें अपना काम यथावत करने दिया गया था।

''सरगुजा क्षेत्र के अंतर्गत ''चिरमिरी क्षेत्र की सबसे पुरानी खदान चिरमिरी कोलियरी मानी जाती है। जिसका संचालन बम्बई स्थित ''बंशीलाल अमीर चंद'' फर्म के डागा परिवार द्वारा होता था। लगभग इसी समय भारत सरकार के उत्पादन मंत्रालय द्वारा कुरासिया कोलियरी प्रारम्भ की गई।''[9]

''आजादी के पहले कोयला खदानों की उत्पादन प्रणाली पुराने किस्म की थी और उत्पादन मुख्यतः श्रमिकों द्वारा होता था। अनेक खदानें ऐसी भी थी जहाँ कोयला काटने की मशीन भी शायद नहीं थी और कोयले की कटाई गैती या कुदाल के माध्यम से मजदूरों द्वारा की जाती थी। कोयला खानों के अंदर का वातावरण भी दूषित रहता था। यद्यपि खदानों के बाहर बड़े–बड़े पंखे लगाकर अंदर शुद्ध हवा भेजने का प्रयास किया जाता था, पर जिस तरह इन खदानों को विकसित किया गया था, उससे, खदानों का दूषित वातावरण ज्यों का त्यों बना रहता था। यह सर्वमान्य था कि कोयला खदान श्रमिको का सामान्य जीवन लगभग 15 वर्षो का होता था। उस जमानें में खदानों के अंदर रोशनी का भी अभाव रहता था और मजदूरों को या तो मिट्टी तेल के भभके या लालटेनें लेकर काम पर जाना पड़ता था। खदानों में बिजली तथा अन्य सुविधाओं का अभाव था।

कम्पनी ने यद्यपि श्रमिको के लिए कुछ मकान बनवाए थे, किन्तु वे प्रायः कच्चे होते थे। इन मकानों में मानवीय सुविधाओं का अभाव होता था। श्रमिकों के लिए मकान प्रायः कच्चे होते थे जिनकी छतों में या तो खपरे या एस्बेस्टस शीट लगाई जाती थी। श्रमिकों की बस्तियों को घौड़ा कहा जाता था, जहाँ एक से एक लगे हुए अनेक छोटे–छोटे मकान होते थे, जिनमें मानवीय सुविधाओं का प्रायः अभाव रहता था। घौड़े में न तो बिजली, न पानी और न ही पाखाने आदि की व्यवस्था होती थी। सुबह–शाम प्रत्येक घौड़े के सामने सिगड़ियों पर कोयला जलता था जिससे वातावरण कार्बन–मोनो–ऑक्साइड गैस के कारण दूषित रहता था। इन सिगड़ियों को बाहर रखकर जलाना आवश्यक था, क्योंकि इस धुंऐं में सांस लेने से लोगों के मरने का खतरा था। औषधालय आदि की सुविधा एक–आध खदान को छोड़कर कहीं नहीं थी। पीने के लिए इन घौड़ों में एक या दो सामान्य नल लगते थे जिनके जरिए बिना साफ किया हुआ पानी लागों को पीने को पानी मिलता था। अधिकतर स्थानों में यह पानी खदानों के अंदर से ही पंप किया जाता था।''[10]

''1950 से पहले खदानों के अंदर स्त्रियाँ भी काम करती थीं। कटे हुए कोयले को गाड़ी में भरना, मिट्टी हटाना, समान ढोना स्त्रियाँ ही करती थीं। स्त्री श्रमिकों की सुविधा के लिए कहीं भी कोई विशेष प्रबन्ध नहीं थे।''[11]

''सन् 1952 के भारतीय खान अधिनियम के अंदर स्त्रियो से खान के अंदर काम लेना वर्जित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त खान के अंदर काम करने वाले श्रमिको के लिए 8 घंटे तथा बाहर काम करने वालो के लिए 9 घंटे प्रतिदिन निर्धारित किए गया।''[12]

''इस कानून के तहत कोयला प्रबंधकों को स्त्री श्रमिकों के लिए विशेष सुविधायें देने हेतु बाध्य किया गया। इन सुविधाओं में क्रेश या बालचरों की सुविधा प्रमुख है। कानून द्वारा उन कोयला खदानों में जहाँ 25 या अधिक स्त्री श्रमिक कार्यरत हैं, बालघर स्थापित करना आवश्यक कर दिया गया जिससे माताऐं अपने बच्चों को बालघर में छोड़कर काम पर जा सकें। इन बालघरों के रख–रखाव पर जो खर्च आता था उसे निजी क्षेत्र के मालिक वहन करने के लिए तैयार नहीं थे।''[13]

1952 के अधिनियम के बाद यद्यपि कोयला खदान के अंदर स्त्रियो का काम करना कानून द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया तब से स्त्रियाँ सिर्फ खदान के ऊपर ही कार्य करती हैं, किन्तु फिर भी उस समय कार्य के घंटे निर्धारित नहीं थे, 12 घंटे काम लिया जाता था तथा न्यूनतम मजदूरी पचास पैसे प्रतिदिन से भी कम थी। खदान के अंदर श्रमिको की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी खदान में यद्यपि डॉक्टर होते थे और अस्पताल होते थे पर मजदूरो के स्वास्थ्य और चिकित्सा पर किया जाने वाला खर्च नाम मात्र का था।

राष्ट्रीयकरण के पूर्व निजी समय में हड़ताल तालाबंदी आए दिन होती थी, इसका कारण अधिकांशतः उनको प्राप्त वेतन वृद्धि को लेकर होता था। समय–समय पर सरकार के प्रयास के फलस्वरूप कई वेतन सुधार, श्रमिको की आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर को सुधारने हेतु प्रयास किए गए जैसे भारतीय खान अधिनियम 1952, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1957 पारित किए गए किन्तु निजी खान मालिक उनको मानने से अस्वीकार कर देते थे और यदि मानते भी थे तो उसका परिचालन पूरी तरह से नहीं करते थे।

राष्ट्रीयकरण के पूर्व श्रमिकों को क्षतिपूर्ति नियम, जीवन बीमा, एवं बैकिंग सुविधा आदि भी प्राप्त नहीं थी। श्रमिको को आकस्मिक अवकाश भी प्राप्त नहीं थे। परिवहन की प्राथमिक समस्या थी। किसी बस या वाहन की सुविधा नहीं थी, अक्सर श्रमिको को पैदल ही जाना पड़ता था।

कोयला खान श्रमिको की चिकित्सा की भी कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी। यदि किसी श्रमिक को कालरी के बाहर कोई चिकित्सा कराना होता था तो उसका खर्च उसे स्वयं ही उठाना पड़ता था।

राष्ट्रीयकरण के पूर्व कोयला खान की स्थितियाँ अत्यन्त ही दयनीय थीं। ''कोयले की खानों में प्रायः दुर्घटनाऐं होती रहती हैं। इससे जान और माल दोनों का नुकसान होता है और अन्ततः उत्पादन को क्षति पहुंचती है। ये दुर्घटनाऐं खान के मालिकों की लापरवाही के कारण होती है। इस क्षति को रोकने के लिए बहुत कठोर बनने चाहिए तथा उनका पालन पूर्णरूप से होना चाहिए।''[14]

राष्ट्रीयकरण के पूर्व अर्थात् जब कालरी निजी क्षेंत्र में थी उस समय सरगुजा क्षेत्र के कोयला खान श्रमिक वर्ग का जीवनस्तर काफी नीचा अर्थात् साधारण था। प्रायः सभी श्रमिक सूदखोरो के चंगुल में फंसे थे। इन सूदखोरो द्वारा ऊँची ब्याज दरो पर श्रमिको को रकम ऋण के रूप में दी जाती थी। श्रमिक सिर्फ उस ब्याज की रकम ही अदा कर पाता था यदि कभी कोई श्रमिक ब्याज की रकम मजदूरी के बाद अदा नहीं करता था तो इन सूदखोरो द्वारा श्रमिक को डरा धमका कर ब्याज की रकम वसूल की जाती थी। श्रमिको की ऋणग्रस्तता का कारण कम वेतन, अशिक्षा तथा बैंकिंग सुविधाओ का अभाव था, जिसके कारण सूदखोर श्रमिको का अत्यधिक शोषण किया करते थे।

कोयला उद्योग की कोकिंग कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण 1971 के पूर्व देश में बहुत सी छोटी–छोटी खान इकाईयाँ थीं और कोयले का दोहन अवैज्ञानिक तरीके से हो रहा था, जिसमें बड़ी मात्रा में कोयला भूमि के नीचे ही छूट जाता था। खान के मालिक मुख्यतः निजी क्षेत्रों में थे। सरकारी क्षेत्र में सिर्फ दो ही संस्थायें कार्यरत थीं। प्रथम ''राष्ट्रीय कोयला विकास निगम'' और द्वितीय ''सिंगरैनी कोयला कम्पनी लिमिटेड''। कोयला खान राष्ट्रीयकरण के पूर्व वैज्ञानिक विवेचना तथा उस पर आधारित खान योजना का पूरी तरह अभाव था।

''इसके अतिरिक्त कोयला खानों में लगातार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हो रहा था, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या दिनों दिन बढ़ रही थी।''[15]

पूर्व में गठित विभिन्न समितियों द्वारा कोयला उद्योग के संतुलिम विकास कोयला भण्डार के संरक्षण, सुरक्षा के श्रेष्ठ पैमाने एवम् कार्यरत श्रमिकों को उचित और पर्याप्त मजदूरी देने के साथ उनकी कार्य दशाओं में सुधार करने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की गईं। इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रीयकरण के पूर्व कोयला उत्पादन की अल्प मात्रा जो औद्योगिक विकास के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं थी, पर चिन्ता भी प्रकट की गई।

1936 में नियुक्त सी.वी.बक्श की कोयला उत्खनन समिति ने 1937 के प्रतिवेदन में लिखा है कि कोयले की मांग और पूर्ति के लिए जो भी नियंत्रण किया जा सके शीघ्र ही किया जाए। उन्होने इस बात पर भी जोर दिया कि कोयला के उत्पादन के लिए नियन्त्रण एवम् विकेन्द्रीकरण केवल एक ही साधन से सम्भव है और वह है राष्ट्रीयकरण।

स्वर्गीय एस.मोहन कुमार मंगलम ने राष्ट्रयकरण के पक्ष में तर्क देते हुए कहा है कि ''जबकि कोयला खानों का अनिवार्य समीकरण यदि असंभव नही तो कठिन हो जाने पर अब कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के

अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। अतः कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण की अपरिहार्यता स्पष्ट होती है।''[16]

सरकार ने श्रमिक कल्याण, अधिक उत्पादन, अधिक मांग आधुनिक मशीनो के प्रयोग, अधिक विनियोग को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयकरण का निर्णय किया। सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह था कि निजी क्षेत्र की कोयला खानो में कार्य दशाऐ, अत्यन्त सोचनीय थीं। मजदूरी बोर्ड तथा श्रम कानूनो का मालिको द्वारा उल्लंघन आम बात थी। कोयला मजदूरी बोर्ड की 1967 मे स्वीकार की गई सिफारिशो को सन् 1972 के अन्त तक भी निजी क्षेत्र की कोयला खानो के 10 प्रतिशत से अधिक ने क्रियान्वित नहीं की थी। अतः श्रमिको को शोषण से बचाने के लिए कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण उचित समझा गया।

कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण–

कोयले के संरक्षण एवं वैज्ञानिक तरीकों से खनन के उपाय, खानों में कार्य करने का वातावरण, खान श्रमिकों की सुरक्षा तथा कोयला उद्योग को एक या अन्य तरीके से नियंत्रित तथा व्यवस्थित करने के उद्देश्य को लेकर कोकिंग कोयले खानें 16 अक्टूबर 1971 को सार्वजनिक प्रबंध के लिए सरकार ने अपने अधीन ले लिया और 01 मई 1972 को इन खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।[17]

इस तरह 01 जनवरी 1972 को राष्ट्रीयकृत 214 कोकिंग कोयला खदानों का प्रबन्ध भारत कोकिंग कोयला कंपनी लिमिटेड धनबाद (झारखण्ड) के अधीन कर दिया गया। प्रशासनिक असुविधा के कारण 08 खानों को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन स्थानांतरित कर दिया गया। 01 मार्च 1973 को भारत कोकिंग कोयला कंपनी इस्पात एवं खान मंत्रालय के अधीन स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड की सहायक कंपनी बन गई जो 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी बनी।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात कोयला उद्योग की प्रगति एवम् श्रमिक जीवन–

राष्ट्रीयकरण के पूर्व के दशक में कोयला उत्पादन की गति अत्यन्त धीमी थी। जबकि देश के आर्थिक एवम् औद्योगिक विकास के लिए कोयला उत्पादन वृद्धि की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। भारतीय कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण होने के फलस्वरूप कोयला उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए खानों का पुर्नगठन प्रौद्योगिकी स्थानांतरण तथा समावेशन के लिए देश में विकसित अथवा विदेश से आयातित नई प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने की प्रक्रिया अपनाई गई।

राष्ट्रीयकरण के बाद मजदूरी भुगतान की अलग–अलग व्यवस्थाओं को समाप्त कर मजदूरी के एक संगठित ढांचे की योजना बनाई गई। इसका उद्येश्य उद्योग के मजदूरी ढांचे में एक रूपता लाना, श्रमिकों के जीवनस्तर में सुधार करना, कोयला श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा उत्पादन के लिए कार्य कुशल श्रम शक्ति का निर्माण करना था। वास्तव में कोयला उत्पादन में वृद्धि एवम् राष्ट्रीयकरण की नीतियों की सफलता श्रम कल्याण एवम् मजदूरी में वृद्धि के अभाव में संदिग्ध ही रहती। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीयकरण के साथ ही मजदूरी निर्धारण के लिए गठित संयुक्त द्विपक्षीय वार्ता समझौता द्वारा तीसरी बैठक में निर्णय लिया गया।

इससे राष्ट्रीयकरण के पूर्व से चली आ रही मजदूरी निर्धारण एवम् उनके कियान्वयन में होने वाले विलम्ब की अनिश्चितता समाप्त हो गई।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात लागू वेतनमानों में लगातार वृद्धि हुई। यदि राष्ट्रीयकरण के पूर्व के वेतनमानों का परीक्षण किया जाए तो पता चलता है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात से अब तक श्रमिकों की मजदूरी दरों में लगभग साढ़े तीन गुने से चार गुने के बीच वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात श्रमिकों के लिए मजदूरी निर्धारण की एक सुव्यवस्थित एवम् संतोषजनक कार्यप्रणाली अपनाई गई है। आकर्षक मजदूरी दरों के निर्धारण के साथ–साथ श्रामिकों की सेवा शर्तों एवम् अन्य प्रासंगिक लाभों के निर्धारण के साथ–साथ श्रमिकों की सेवा शर्तों एवम् अन्य प्रासंगिक लाभों के निर्धारण में भी राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता समिति की नीति उपयोगी एवम् कल्याणकारी प्रतीत हुई है।

राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप कोयला उद्योग का सुप्रबंधित एवं समन्वित विकास संभव हो सका है। इनमें प्रमुख उल्लेखनीय कोयले की पूर्ति की दिशा में सुधार, अधिक उत्पादन, उत्तम संचालन, कुशलता, श्रमिकों के लिए रहन–सहन की एवं काम करने की पहले से अधिक उत्तम दशायें खानों में अधिक श्रमिकों के लिए रहन–सहन की एवं काम करने की पहले से अधिक उत्तम दशायें, खानों में अधिक सुरक्षात्मक उपाय, उत्तम

उपभोक्ता सेवाऐं आदि हैं। राष्ट्रीयकरण के पश्चात कोयला खानों में अधिक मात्रा में मशीनीकरण किया गया है। खानों मे ंकाम करने वाले सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए 76 अतिरिक्त वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले गए हैं। इन सब में से अब तक 450 एक्सीक्यूटिव अधिकारी, 10,000 सुपर वाईजर्स तथा 1 लाख श्रमिकों को कोयला उद्योग से संबंधित विभिन्न शाखाओं में प्रशिक्षण किया जा चुका है।

राष्ट्रीयकरण के बाद सरगुजा क्षेत्र की कोयला खान एवम् कोयला खान श्रमिकों की स्थिति में परिवर्तन–

राष्ट्रीयकरण के बाद सरगुजा क्षेत्र की कोयला खदानों की स्थितियों में सभी दृष्टिकोण से व्यापक परिवर्तन हुआ। राष्ट्रीयकरण के बाद सरगुजा कोयला क्षेत्र में कोयला उत्पादन एवम् श्रमिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। सरगुजा क्षेत्र में स्थित सभी कोयला खानें, (सिर्फ कुरासिया कालरी छोड़कर) निजी मालिकों द्वारा चलाई जाती थी। निजी मालिक कोयला उत्पादन में न तो किसी वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता था और न ही कोयले का पूरा दोहन किया जाता था, किन्तु राष्ट्रयकरण के पश्चात स्थितियों में परिवर्तन आया है।

सरगुजा क्षेत्र की सबसे प्राचीन चिरमिरी कोयला खदान में राष्ट्रीयकरण के पश्चात पूर्ण मशीनीकरण को अपनाया गया। मशीनीकरण को अपनाये जाने से उत्पादन विधि में सुधार आया। नवीनीकरण की प्रक्रिया से चिरमिरी की कोयला खानों का द्रुत गति से विकास संभव हुआ।

राष्ट्रीयकरण से कोयला खानों में काफी सुधार हुआ। खानों के अंदर बिजली, पानी, हवा आदि की व्यवस्था को सुव्यवस्था किया गया। उत्पादन प्रणाली एवं विधियों में सुधार आने से दुर्घटनाओ में कमी आयी हैं।

राष्ट्रीयकरण के बाद यहाँ कोयला खानों में उत्पादन वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित एवं योजनाबद्ध तरीके से किया जाने लगा। यहाँ राष्ट्रीयकरण के पूर्व खान श्रमिकों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उनकी आर्थिक दशा काफी खराब थी। जीवन स्तर काफी नीचे था। इन सबका परिणाम यह था कि उस समय उन श्रमिकों की औसत जीवन आयु भी होती थी। राष्ट्रीयकरण के पश्चात उनकी स्थितियों में सकारात्मक सुधार आया है। निजी समय में क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को भी मजदूरी 50 पैसे अथवा आठ आने हुआ करती थी। जहाँ तक भत्तों का सवाल है, भत्ते नाम मात्र के ही होते हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद क्षेत्र के श्रमिकों के आर्थिक स्थिति मे ंसुधार हुआ, उन्हें ज्यादा मजदूरी मिलने लगी। कोयला श्रमिकों की मजदूरी निर्धारण हेतु राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता प्रारम्भ हुआ। मजदूरी वृद्धि होने से, चिरमिरी क्षेत्र के खान श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में जो सुधार आया।

राष्ट्रीयकरण के बाद क्षेत्र की खान श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार का एक हिस्सा यह भी था कि श्रमिकों को बोनस मिलने लग गया। निजी समय में श्रमिकों से 12 घण्टे तक कार्य लेना मामूली बात थी एवं कोयला खान में कार्यरत श्रमिकों को कोई ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती थी। राष्ट्रीयकरण के बाद कार्य के घण्टे निर्धारित कर दिए गए। निर्धारित समय के पश्चात कार्य करवाने से श्रमिकों को बढ़े हुए दर पर मजदूरी का भुगतान करना पड़ता है। इसका लाभ क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को भी प्राप्त हुआ।

राष्ट्रीयकरण के पूर्व कोयला खानों मे कार्यरत श्रमिकों की नौकरी से कोई स्थायित्व नहीं था। बिना किसी ठोस कारण या आधार के उन्हें कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाता था। उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति यदा–कदा ही दी जाती थी। श्रमिक वर्ग हमेशा संशय की स्थिति में कार्य करता था कि कब उसे कार्य मुक्त कर दिया जाये। राष्ट्रीयकरण के पश्चात नौकरी में अस्थायित्व का भाव समाप्त हो गया और वे भयमुक्त होकर कार्य करने लगे। उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि कोयला खानों द्वारा निर्धारित दरों पर प्राप्त होना प्रारम्भ हो गया। नये–नये पदों का सृजन हुआ एवं उनकी पदोन्नति की संभावनायें भी काफी बढ़ गई। इन सभी सुविधाओं का लाभ क्षेत्र मे कार्यरत कोयला श्रमिकों को भी प्राप्त होने लगा।

सरगुजा कोयला क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण के पूर्व चिकित्सा सुविधायें नाम मात्र की ही थी। खानों के अंदर दुर्घटना हो जाने पर ऐसे चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध तो कराई जाती थी, पर अगर श्रमिकों कोई गंभीर बीमारी हो गई तो उसे अपना इलाज स्वयं के खर्चे पर कराना होता था। निजी खान श्रमिकों के स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देते थे।

राष्ट्रीयकरण के बाद स्थिति में काफी सुधार आया, अब प्रत्येक कालरी मे पृथक–पृथक चिकित्सालय हैं, जो सभी सुविधाओं से युक्त हैं। क्षेत्रीय स्तर पर एक चिकित्सालय रीजनल अस्पताल आदि है। अस्पतालों में

आधुनिक उपकरणों सहित चिकित्सा की सुविधायें उपलब्ध हैं। यदि किसी श्रमिक को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है एवं जिसका इलाज क्षेत्र में उपलब्ध साधनों से नहीं हो सकता तो उसे कालरी के खर्चे पर बाहर बेहतर चिकित्सा हेतु भेजा जाता है। तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीयकरण के बाद क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई।

राष्ट्रीयकरण के पूर्व सरगुजा कोयला क्षेत्र में आवास सुविधाओं के बारे में यह कहा जा सकता है कि आवास सुविधायें जो थीं, वह नाम मात्र की ही थीं। श्रमिकों के मकान कच्चे बने हुए थे। इन मकानों में बिजली, पानी की कोई सुविधा नहीं थी। मकान ऐसे बने हुए थे, जिसमें काफी प्रदूषण से भरा हुआ धुआँ होता था। सरकारी क्षेत्र की खदान कुरासिया कालरी को छोड़कर हर क्षेत्र में श्रमिकों की आवास व्यवस्था काफी खराब थी।

सरकार द्वारा कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद आवास व्यवस्था में सरगुजा कोयला क्षेत्र में काफी सुधाा आया। प्रत्येक कम्पनी में श्रमिकों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाता है। इन मकानों में कालरी की ओर से निःशुल्क बिजली एवं स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाता है। मकानों का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाता है, जो प्रदूषण मुक्त हो।

राष्ट्रीयकरण के पूर्व सरगुजा कोयला क्षेत्र में अपनी राशि को जमा कराने हेतु बैंक की सुविधा या बीमा कम्पनियों की सुविधा उपलब्ध नहीं थीं। राष्ट्रीयकरण के बाद इस क्षेत्र में बैंक की संख्या काफी बढ़ी। अब यहाँ प्रत्येक कालरी स्तर पर एक बैंक, पोस्ट ऑफिस उपलब्ध है। बीमा की सुविधाओं में भी वृद्धि हुई है।

सरगुजा कोयला क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण के पूर्व महिला श्रमिको की स्थिति काफी खराब थी। उनसे मनचाहा कार्य लिया जाता था। जिसके लिए उनकी मजदूरी दरें निर्धारित नहीं थीं उनकी कार्य का विभाजन, कार्य स्थल, कार्य दशा, कार्य के घण्टे आदि निर्धारित न होने के कारण उनका अधिकतम शोषण किया जाता था। महिलाओं के बच्चों को रखने हेतु बाल सदन की व्यवस्था भी नहीं थी।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात उनकी स्थिति में काफी सुधार आया। अब महिला श्रमिकों के कार्य का विभाजन कर दिया गया है। इसक साथ–साथ महिला श्रमिकों के कार्य स्थान, कार्य के घण्टे भी निध्रारित हैं। इसके अनुसार उनकी मजदूरी दरें भी निर्धारित की गईं हैं। बच्चे को रखने हेतु बाल सदन की भी सुविधायें उपलब्ध हैं।

श्रमिक वर्ग किसी कार्य को अच्छी तरह से तभी सम्पन्न कर सकता है जबकि उसे प्राप्त मजदूरी एवं सुविधायें आकर्षक हों, देश के आर्थिक विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उत्पादन निरन्तर शीघ्रता से हेाता रहे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उद्योग धंधों में लगे हुए मतभेद तत्काल हल नहीं होता तो यह संघर्ष का रूप धारण कर लेता है और उसका परिणाम तालाबन्दी या हड़ताल होता हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय उत्पादन को क्षति पहुंचती है तथा इस सीमा तक देश का आर्थिक विकास रूक जाता है।

राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार ने ज्यादा से ज्यादा सुविधायें देकर इस बात का प्रयास किया कि श्रमिक वर्ग संतुष्ट रहे ताकि हड़ताल या संघर्ष की स्थिति न आ सके।

राष्ट्रीयकरण के पूर्व भर्ती की जो भी पद्धतियाँ थीं, वे सभी अवैज्ञानिक थी एवं नीति संगत नहीं थी। ज्यादातर भर्तियाँ खान मालिक के अनुसार ही चलाते थे। राष्ट्रीयकरण के पूर्व कोयला खानों में श्रमिकों की भर्ती अधिकतर आकस्मिक श्रमिक के रूप में ही हुआ करती थी अर्थात् इन श्रमिकों के रूप में ही हुआ करती थी अर्थात् इन श्रमिकों के कार्य की कोई निश्चितता ही नहीं हुआ करती थी। जरूरतों के मुताबिक उन्हें रखा जाता था एवं निकाल भी दिया जाता था। यह अलग तथ्य है कि श्रम संगठन इसका विरोध करते थे लेकिन चूंकि खाने निजी प्रबंधन में थी, इस कारणइन विरोधों के बावजूद श्रमिकों की भर्ती मनमानी तरीके से ही की जाती थी। कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद स्थिति में सुधार आया। श्रमिकों की भर्ती मनमानी, अवैज्ञानिक एवं अनीतिपूर्ण के स्थान पर विधिवत किया जाने लगा। श्रमिकों के अनिश्चितता का भविष्य भी समाप्त हो गया।

वर्तमान में श्रमिकों की भर्ती हेतु प्रत्येक कालरी से भर्ती अधिनियमों के अनुसार श्रमिकों की मांग की जाती है। एक बार भर्ती हो जाने पर उसे सभी तरह की सुविधायें भी प्राप्त होने लगती हैं। मनमानी रूप से उसे निष्कासित भी नहीं किया जाता।

अतः कोयला खान राष्ट्रीयकरण के पश्चात कोयला खान श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। वर्तमान में कोयला खान उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ श्रमिकों को जीवन हेतु प्राथमिक आवश्यकतायें प्राप्त हो रही है।

संदर्भ सूची–

1. हम्फेरी, एच.डी.एच, 'दि अर्ली हिस्ट्री ऑफ कोल माइनिंग इन बंगाल', दि माइनिंग जियोलॉजिकल एण्ड मेटालॉजिकल इन्स्टीट्यूशन ऑफ गोल्डन जुबली कोमोरेशन, वाल्यूम, 1906–1955, पृष्ठ संख्या 147.
2. वही, पृष्ठ संख्या 159.
3. तिवारी, डॉ. विजय कुमार, 'भारत का वृहत् भूगोल', भाग 2, मुंबई, हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, 1997, पृष्ठ संख्या 158–159.
4. रिपोर्ट ऑफ दि सेन्टल वेज बोर्ड फॉर दि कोल माइनिंग इन्डस्टी, वाल्यूम 1, शिमला, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया प्रेस, 1968, पृष्ठ संख्या 11.
5. गुप्ता, गुलाब मध्यप्रदेश हाई कोर्ट, 'काले हीरे का खम्भा', चिरमिरी नेशनल कोलियरी मजदूर संघ, 1989,पृष्ठ संख्या 02.
6. वही, पृष्ठ संख्या, 02.
7. वही, पृष्ठ संख्या, 03.
8. मंगलम, एस.मोहन कुमार, 'कोल इन्डस्ट्री इन इण्डिया, नेशनलाइजेशन एण्ड टास्क अहेड', नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड एण्ड आई बी एन पब्लिसिंग कम्पनी, 1973, पृष्ठ संख्या 48.
9. गुप्ता, गुलाब, पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 3.
10. वही, पृष्ठ संख्या, 04–05.
11. वही, पृष्ठ संख्या, 5.
12. भारतीय खान अधिनियम 1952, 'कोल इण्डिया लिमिटेड', भारत सरकार, नई दिल्ली.
13. गुप्ता, गुलाब, पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या, 05.
14. शर्मा, राजीवलोचन, 'व्यावहारिक भूगोल', आचार्य नगर, कानपुर किताब घर, 1976, पृष्ठ संख्या 141.
15. मिश्रा,' आर. एन., 'कोल इन्डस्ट्री मिथ एण्ड रिएलिटी, नई दिल्ली, लोक उद्योग', 1980, पृष्ठ संख्या 12.
16. महेन्द्री आर.जी., 'नेशनलाईजेशन ऑफ कोल इन्डस्टी डाइरेक्ट एण्ड इनडाइरेक्ट गेन्स', रांची, माइनटेक, वाल्यूम–3, नं. 2, 1980, पृष्ठ संख्या 6.
17. केपिटल वाल्यूम, 167, 28 अक्टूबर 1971, पृष्ठ संख्या 784.

अभिषेक अग्रवाल
शोध छात्र (इतिहास विभाग) गुरू घासीदास(केन्द्रीय) विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)